



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. Of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बाड़मेर, कार्यालय : जे- 2/2, मालानी कर्मचारी कॉलोनी,

बलदेव नगर, एन.एच.-15, बाड़मेर-344001 (राज.)

Project Implementation Unit, Barmer, Office, J - 2/2, Malani Karamchari Colony,

Baldev Nagar, NH-15, Barmer - 344001(Raj.)

ई-मेल/Email :- piubarmer@nhai.org दूरभाष/Tel. & Fax : 02982-227100



भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

क्रमांक: भाराराप्रा/प.का.ई. बाड़मेर/भू.अ./2017-18/ 4195

दिनांक 18.12.2018

श्रीमान् उप वन सरंक्षक
बाड़मेर

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के किमी 109+740 से 113+445 के मध्य वायुयानों के उतरने (Landing Air Strip) के लिये सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक एफ(0)तक./उवसं/2018/11834 दिनांक 22.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसलमेर से बाड़मेर एन एच 68 के खण्ड किमी 109+740 से किमी 113+445 तक आपातकालीन हवाई पट्टी के निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के अनारक्षण का प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया।


उपरोक्त प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से कमीयां जैसे इंडेक्सिंग करना, हार्ड प्रति सहित छः प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षर मय नाम आदि अवगत कराया गया जिनकी पूर्ति कर दी गई है।

साथ ही आप द्वारा चाही गई प्रभावित होने वाले पेड़ों की सूची निम्न प्रकार है।

S.No.	Name of Species	Local Name	(0-30 Cm)	Girth (31-60)cm	Girth (61-90)cm	Girth (91-120)cm	Girth (121-150)cm	Girth (>150)cm
1.	Babul	Babul	0	927	398	71	18	4
2.	Jal tree	Jal tree	0	1	0	0	0	0

अतः वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव की मूल प्रति सहित छः प्रतियां अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(ले. कर्नल वि.एस.मील)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि— श्रीमान् मुख्य महाप्रबन्धक (तक.) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, जयपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।